

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार, 03 सितम्बर, 2008/भाद्रपद 12, 1930 (शक)

संख्या- 280

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, कंट्रोल रूम, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 03.09.2008 को 1400 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1405 बजे रिहा कर दिया गया”।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 3rd September, 2008/12 Bhadra 1930 (Saka)

No.280

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from New Delhi control Room.

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act, from Jantar Mantar at 1400 Hrs. on 3.09.2008.

He was released at 1405 Hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary